जाती हैं। इन सब की रोकथाम के लिए तत्काल इंतजाम किया जाना चाहिए। चारा और खेत मजदूरों के लिए काम का जल्द-से-जल्द प्रबंध होना चाहिए। जैसाकि सवेरे बताया गया था कि हर दस दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन संसद का सत्र तो समाप्त हो जाएगा। अत: मेरा निवेदन है कि पूरी स्थिति पर बहस होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है।

STRIKE BY PHARMACISTS OF DELHI HOSPITALS

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विशेष उल्लेख के माध्यम से एक सार्वजनिक महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया। मान्यवर पिछले करीब 68 दिन से दिल्ली प्रशासन और दिल्ली कार्पोरेशन के अस्पतालों में काम करने वाले फार्मेसिस्ट्स की हड़ताल चल रही है, इससे उन अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनकी बहुत छोटीसी, बहुत मामूली सी मांग है। मांग यह है कि चतुर्थ वेतन आयोग के पहले जितने फार्मेसिस्ट्स थे—चाहे वे केन्द्रीय सरकार के हों चाहे दिल्ली प्रशासन के उनका वेतनमान एक समान था 330 से 560 रुपए प्रति माह था, उपसभाध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि समान काम के लिए समान वेतनमान मिलना चाहिए। यह एक सिद्धांत भी है और चौथे वेतन आयोग ने खुद कहा है कि अब इनका वेतनमान हो जाएगा रुपए 1350 प्रतिमास से 2200 रुपए प्रतिमास, यह उसने खुद कहा है। मैं यहां उनकी रिकमन्डेशन को कोट करता हूं :—

There are about 2,400 posts of Pharmacists in the Central Government and they are recruited in the pay scale of Rs. 330-560. The associations representing the above category of posts have represented that there are no opportunities of promotion available to them. Considering the recruitment qualification and the duties and responsibilities of the posts, we recommend that the Pharmacists in the scale of Rs. 330-560 may be given the scale of Rs. 1350-2200.

उपसभाध्यक्ष महोदय, चौथे वेतन आयोग ने खुद माना है। लेकिन दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत जो फार्मेसिस्ट्स काम कर रहे हैं, उनका वेतनमान स्वीकार किया गया है रुपए 1200 प्रतिमास से लेकर 2040 रुपए। उपसभाध्यक्ष महोदय यह एक छोटी सी और मामूली सी मांग है और केवल 800 लोग हैं। उनके साथ यह असमानता का व्यवहार हो रहा है। दिल्ली प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इनकी मांग को केन्द्रीय सरकार और वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आश्वासन दे रखा था कि इनकी मांग पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी जाएगी। लेकिन कमेटी नहीं बनायी गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि केवल 800 कर्मचारी हैं जिनकी कि मामूली-सी मांग है। पहले जितने भी प्रकार के फार्मेसिस्ट्स थे उनके एक समान वेतनमान थे। तो अब असमानता का व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस हड़ताल को तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे मरीजों को भी तकलीफ हो रही है और दिल्ली के लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस छोटीसी मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए। उनके प्रतिनिधियों से अगले सप्ताह बात कर लें। मेरी समझ से यदि उन्हें कोई भी आश्वासन मिल जाएगा तो वह अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 24th August, 1987.

The House then adjourned at six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 24th August, 1987.